

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ।

## विज्ञापन

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक 3606/एसएलएसए-99/2019(हैदर) दिनांकित: नवम्बर 21, 2025 के अनुपालन में जनपद मऊ में आपराधिक मामलों में वंचितों तथा कमजोर वर्ग की प्रतिरक्षा हेतु लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल स्थापित है जिसमें अतिरिक्त निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल- पद की संख्या -01
2. असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल- पद की संख्या-01

### वेतनमान-

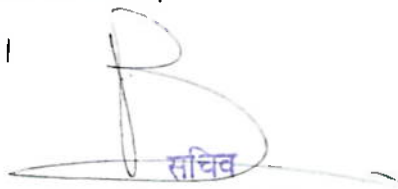
1. डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल-रु०- 45,000
2. असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल- रु०- 30,000

### डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु आवश्यक योग्यता-

1. आपराधिक मामलों में कम से कम 07 वर्ष के वकालत का अनुभव।
2. मौखिक एवं लेखन दोनों क्षेत्रों में संचार ( Communication) की उत्कृष्ट क्षमता।
3. आपराधिक विधि की अच्छी समझ व ज्ञान।
4. प्रतिरक्षा अधिवक्ता के नैतिक दायित्वों की पूरी जानकारी व समझ।
5. विधिक अनुसंधान में निपुण हो।
6. जिसने अवश्य ही कम से कम 20 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो (20 सत्र परीक्षणीय मामलों में कार्य करने की शर्त यथोचित मामलों में माननीय एक्जक्यूटिव चेयरमैन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिथिल की जा सकती है)
7. कार्य में निपुणता के साथ आई० टी० ज्ञान।

### असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु आवश्यक योग्यता-

1. आपराधिक मामलों में शून्य से 03 वर्ष का अनुभव।
2. मौखिक व लेखन दोनों क्षेत्रों में संचार ( Communication) की उत्कृष्ट क्षमता।
3. प्रतिरक्षा अधिवक्ता के नैतिक दायित्वों की पूरी जानकारी व समझ।
4. प्रभावी तथा कुशलता के साथ कार्य करने का गुण।
5. कार्य में निपुणता के साथ आई०टी० का ज्ञान।
6. लेखन और अनुसंधान में निपुणता।

  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
जनपद-मऊ

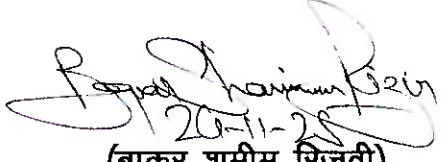
### चयन प्रक्रिया—

उपरोक्त पदों हेतु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर किया जायेगा। जिसमें अभ्यर्थी के कार्य, व्यवहार, आचरण, विधिक ज्ञान एवं अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा। नियुक्ति चयन समिति द्वारा चयन के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय एक्जक्यूटिव चेरमैन के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी। उपरोक्त दोनों श्रेणी के पदों पर चयन प्रारम्भतः 02 वर्षों के लिए संविदा पर किया जायेगा। कार्य संतोषजनक होने पर वार्षिक सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।

नियुक्ति की अवधि में चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्राइवेट केस में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने तथा अन्य रिटेनरशिप का कार्य नहीं किया जायेगा। **अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले आवेदक का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।**

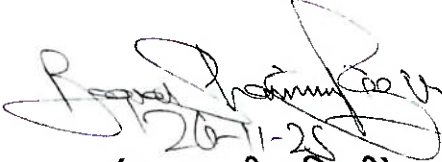
उपरोक्त पदों हेतु आवेदन की **अंतिम तिथि 15.12.2025 के सायं 05:00 बजे तक** की होगी। उपरोक्त पदों हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के कार्यालय में दिनांक 15.12.2025 के सायं 05:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।

दिनांक 24.11.2025

  
(बाकर शमीम रिजवी)  
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मऊ।  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
जनपद-मऊ

### प्रतिलिपि:—

1. केन्द्रिय नाजिर नजारत अनुभाग को जिला न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन को बार एसोसिएशन के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- ✓ 5. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस आशय से प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
(बाकर शमीम रिजवी)  
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मऊ।  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
जनपद-मऊ